

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

प्रति वर्ष 40/रुपये

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 6

अंक सं. :2

सितम्बर, 2013

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

बैंकिंग से सम्बद्धित नीतियां-----	1
बैंकिंग गत की घटनाएं-----	2
विनियामकों के कथन -----	3
विदेशी मुद्रा / बीमा -----	4
सूक्ष्मवित्त / वित्तीय समावेशन -----	5
नयी नियुक्तियां -----	5
उत्पाद एवं गठजोड़ -----	6
बासेल -III - पूंजी विनियमन -----	6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी / शब्दावली -----	7
शुद्धि-पत्र / संस्थान की गतिविधियां -----	7
संस्थान समाचार-----	7
बाजार की खबरें-----	8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मद्दें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मद्दों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मद्दों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

अनिवासी जमाराशि - व्यापक एकल विवरणी के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक की मुहिम

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासी जमाराशि - व्यापक एकल विवरणी (NRD-CSR) रिपोर्टिंग के लिए व्यापक व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा (XBRL) प्लेटफार्म अपनाने का निर्णय लिया है। इससे अनिवासी जमायोजनाओं की तुलना में संसाधन सम्बन्धी आवश्यकताओं को वैधीकरण प्रदान करने, आंकड़ों की गुणवत्ता बढ़ाने, डाटा प्रस्तुतीकरण में सुरक्षा के स्तर बढ़ाने तथा बैंकों को व्यापक व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा (XBRL) पर आधारित डाटा प्रस्तुतीकरण और उनका पता लगाने की विविध विशेषताओं का उपयोग करने में सहायता प्राप्त होगी।

प्राथमिक सहकारिताओं में सुधारों को भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन

भारतीय रिजर्व बैंक ने त्रिस्तरीय अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे में दूरगामी सुधार लाने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारिताओं पर एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। प्राथमिक सहकारिताओं की आस्तियां एवं देयताएं अब मध्यवर्ती / राज्य सहकारी बैंकों को अंतरित हो जाएंगी। ऐसे राज्यों में जहां मध्यवर्ती / राज्य सहकारी बैंक पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हैं, तथा कोर बैंकिंग प्रणालयों के अधीन कार्यरत हैं, प्राथमिक सहकारिताएं उनके कारबार संपर्कियों के रूप में कार्य करेंगी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) से एक परिपत्र से राय और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में सुधार का पता लाला है।

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय द्वारा पहला कदम

भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु पहला कदम उठाया है। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) ने यह सिफारिश की थी कि निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) को समाधान निगम के अंतर्गत लाया गाए। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) की रिपोर्ट में बाजार, पण्य, बीमा और पैशन विनियामकों के पर्यवेक्षी

कार्यों के विलयन द्वारा मौजूदा वित्तीय प्रणाली के संपूर्ण जीर्णोद्धार का आह्वान किया गया था। निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) की 3,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूँजी को बढ़ाने के प्रस्ताव के अलावा वित्त मंत्रालय ने सरकार को यह अधिकार / शक्ति प्रदान किए जाने का सुझाव भी दिया है कि अध्यक्ष सहित निदेशकों को वह नियुक्त करे। वर्तमान में अध्यक्ष और निदेशक मंडल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। सभी प्रस्तावित परिवर्तन निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) संशोधन विधेयक, 2013 के अंग हैं।

काउंटर पर किए जाने वाले लेन-देन (व्यापार) को रिपोर्ट करें

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए 02 सितम्बर, 2013 से प्रतिभूत ऋण लिखतों के काउंटर पर किए जाने वाले सभी लेन-देनों की लेन-देन के 15 मिनट के भीतर निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) संघ (FIMMDA) के रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दिया है। इस मुहिम का उद्देश्य ऋण प्रतिभूतिकरण बाजार को अधिक पारदर्शी बनाना है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

अब आवास वित्त कम्पनियों के पास उधार देने हेतु अधिक निधियां होंगी

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने आवास वित्त कम्पनियों (HFCs) द्वारा प्रदत्त ऋणों पर जोखिम भारों को कम कर दिया है। कमतर जोखिम भार का अर्थ है आवास वित्त कम्पनियों द्वारा गृह ऋण प्रदान करने हेतु कम पूँजी रखा जाना। इस मुहिम से आवास वित्त कम्पनियों की अधिक पूँजी मुक्त किए जाने, उनके द्वारा विकासकर्ताओं और वैयक्तिक गृह क्रेताओं को उधार और वह भी सस्ती दरों पर, के पर्याप्त रामाण बढ़ाने में सहायता प्राप्त होने की आशा है। जोखिम भारों को कम करके राष्ट्रीय आवास बैंक यह संकेत दे रहा है कि आवास क्षेत्र में आर्सियों (ऋणों) की स्थिति अच्छी है तथा इस क्षेत्र से सम्बन्धित जोखिम बोध में कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में भवन-निर्माताओं / विकासकर्ताओं तथा वैयक्तिक क्रेताओं को बैंक ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए दो उपायों की घोषणा की थी। उसने वाणिज्यिक स्थावर संपदा- निवासीय आवास (CRE-RH) कहीं जाने वाली उस विशेष श्रेणी का सृजन किया जिस पर 75% (वाणिज्यिक स्थावर संपदा परियोजनाओं के लिए 100%) का कमतर जोखिम भार और 75% (वाणिज्यिक स्थावर संपदा परियोजनाओं के मामले में 100%) का कमतर मानक आर्सित प्रावधानीकरण लागू होता था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 75 लाख रुपये से अधिक के गृह ऋणों पर जोखिम भार को भी 125% से घटा कर 75% कर दिया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से एटीएम सेवा में सुधार लाने के लिए कहा

एटीएम परिचालनों की कार्य-कुशलता बढ़ाकर ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से शिकायत दर्ज कराने और खोये हुए कार्डों की रिपोर्टिंग / अवरुद्धता के लिए निःशुल्क फोन सुविधाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के लिए कहा है। यह उपाय देरियों से बचने और अनुरोधों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से किया गया है। स्थानीय सहायता (शहर-वार / केन्द्र-वार) वाली संख्याओं को भी बढ़ाया जाना चाहिए तथा उन्हें एटीएम परिसर / बैंक की वेबसाइट में प्रमुखता से दर्शाया जाना चाहिए। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे किसी ग्राहक को शिकायत दर्ज कराते / सुझाव देते समय उसे उद्धृत करने में समर्थ बनाने के लिए एटीएम परिसर में एटीएम आईडी को सुस्पष्ट रूप से दर्शाएं। एटीएमों में नकदी की अनुपलब्धता से सम्बन्धित संदेश ग्राहक द्वारा लेनदेन की शुरूआत करने से पहले दर्शाएं जाने चाहिए। इस प्रकार की सूचनाओं को दर्शाने के लिए बैंक या तो स्क्रीन पर या फिर किसी अन्य तरीके वाले विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

मास्टर कार्ड के भुगतान पास से "टैप एण्ड गो" सुविधा

एक वैश्विक भुगतान और प्रौद्योगिकी कम्पनी मास्टर कार्ड भारतीय बाजार में अपनी "पे पास" वाली विशेषता की शुरूआत शीघ्र ही करेगी। "टैप एण्ड गो" कार्ड के साथ भुगतान की यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत तीव्र गति वाली होगी। पे पास स्वीकार करने वाले किसी भी व्यापारी के पास एक कार्ड या मोबाइल फोन जैसे उपकरण द्वारा समर्थित पे पास सुविधा का उपयोग करते हुए सहज रीति से निकालें और आगे बढ़ें (Tap & go)। दक्षिण एशिया के क्षेत्र प्रमुख श्री विकास वर्मा का कहना है कि पे पास किसी भी मास्टर कार्ड या माएस्ट्रो खाते से जोड़ा जा सकता है तथा इसकी निकाले और आगे बढ़ें (Tap and go) प्रौद्योगिकी भुगतान एवं निकासी (Checkouts)) को सरल बना देगी। यह नकदी का उपयोग करने की अपेक्षा तीव्र गति वाली होती है तथा फुटकर के लिए प्रतीक्षा करने, पिन प्रविष्ट करने की प्रतीक्षा करने, रसीद हस्ताक्षरित करने आदि को रोकने में सहायक हो सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रण में ढील दिए जाने से बॉण्डों में चार वर्ष में सर्वाधिक तेजी

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लम्बी अवधि के दिनांकित सॉवरेन नोटों (एक ऐसी मुहिम में जिससे नकदी की आपूर्ति पर नियंत्रण में नरमी आ जाती है) को खरीदने का निर्णय लिये जाने के बाद सरकारी बॉण्डों में चार वर्षों में 10 वर्षीय प्रतिफल को सर्वाधिक नीचे धकेलते हुए भारी तेजी आई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 अगस्त को 8000 करोड़ रुपये (1.2 बिलियन अमरीकी डालर) के ऋण की खुले बाजार में खरीद की और उसके बाद उन्हें बाजार की स्थितियों के आधार पर मात्रा और आवृत्ति, दोनों ही की दृष्टि से अंशांकित किया। पहली बार रुपये के प्रति डालर गिर कर 64 से अधिक के स्तर पर पहुंच जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि चलनिधि को कठोर बनाने वाले उपायों से दीर्घावधिक प्रतिफलों में आवश्यक रूप से तीव्र सुदृढ़ता नहीं आनी चाहिए तथा उधार को प्रभावित नहीं करना चाहिए। मुंबई में मई 2023 में देय 7.16% सरकारी बॉण्डों पर प्रतिफल 51 आधार अंक

फिसल कर 8.42% हो गया। यह आधार 10 वर्षीय नोट पर मार्च 2009 से होने वाली सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट है। हाल ही में यह दर 9.48% के स्तर तक पहुंच गई, जो 2001 से सर्वोच्च है।

बैंकों ने अनिवासी विदेशी जमाराशियों के सम्बन्ध में यथा-स्थिति बनाए रखी

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवासी भारतीयों के लिए जमाराशियों पर प्रदान की जाने वाली ब्याज दरों के लिए दिशानिर्देशों को सरल बनाए जाने के बावजूद बैंकों को इस बात का संदेह है कि इससे अधिक ग्राहक आकर्षित होंगे। इसका निरूपण बैंकों द्वारा दर में की गई हाल की घट-बढ़ से होता है, जिसमें कई एक बैंकों ने उनकी अनिवासी विदेशी (NRE) रूपया जमाराशियों में कोई हेरफेर न करते हुए केवल विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) जमाराशियों से सम्बन्धित ब्याज दरों को ही संशोधित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को तुलनीय घरेलू सावधि जमाराशियों से अधिक ब्याज दर प्रदान करने में समर्थ बनाने हेतु 3 वर्ष और उससे अधिक की अनिवासी विदेशी जमाराशियों पर उच्चतम सीमा को समाप्त कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 से 5 वर्ष के बीच की अवधि वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों पर कीमत-लागत अंतर (Mark up) को भी 100 आधार अंक बढ़ा दिया था। इसके अतिरिक्त, शीर्ष बैंक ने बैंकों के लिए दरें बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक आकर्षक बनाते हुए जमाराशियों की इन श्रेणियों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) की अपेक्षाओं से छूट भी प्रदान की है।

अधिकांश लेनदेन अब भी नकदी, चेकों के माध्यम से किए जा रहे हैं

भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 में इस बात का उल्लेख है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों के बावजूद लगभग 90% भुगतान नकदी / चेक के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों का एक बहुत ही छोटा अंश इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ECS) के माध्यम से किया जा रहा है। भुगतान लिखतों एवं चैनलों की एक व्यापक श्रेणी की उपलब्धता के बावजूद बिल वसूली प्रक्रिया में उल्लेखनीय परिचालनात्मक एवं लागतपरक अकुशलताएं मौजूद हैं। प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वर्ष देश के केवल 20 शीर्ष शहरों में ही 30,800 मिलयन से अधिक बिल तैयार किए जाते हैं। सकारात्मक पहलू से देखने पर तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) ने 28 मार्च, 2013 को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निपटान मूल्य वाले लेनदेनों को प्रसंस्कृत किया था- जो किसी कामकाज के दिन तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के माध्यम से निपटाया गया सर्वाधिक मूल्य था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) ने मार्च, 2013 में लगभग 3,60,000 करोड़ रुपये के मूल्य के 47 मिलियन लेनदेनों के परिमाण का संचालन किया। मार्च, 2013 के अंत में भारत में मार्च, 2012 के 13 मिलियन ग्राहक आधार वाले 49 बैंकों की तुलना में लगभग 23 मिलियन के ग्राहक आधार वाले 55 बैंक मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे थे। 2012-13 के दौरान लगभग 6,000 करोड़ रुपये के मूल्य वाले 53 मिलियन लेनदेन किए गए, इसप्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इनमें क्रमशः 108% और 229% की वृद्धि दर्ज हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मूलभूत सुविधा क्षेत्र को बढ़ाते बैंक ऋणों के प्रति आगाह किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने मूलभूत सुविधा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों का, वे बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने लगे इसके पूर्व निराकरण करने का आह्वान किया है। मूलभूत सुविधा खण्ड में दबाव का जमावड़ा हो रहा है। मूलभूत सुविधा क्षेत्र को बकाया बैंक ऋण, जो 1999-2000 में 7,243 करोड़ रुपये था 100 गुने से अधिक बढ़ कर 2012-13 में 786,045 करोड़ रुपये हो गया है। रस्तू दबाव-परीक्षणों से यह पता चला है कि इस गंभीर दबाव के अधीन सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात मार्च, 2014 तक (जून, 2013 के 3.92% से) बढ़ कर 4.4% हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आशय की अतिरिक्त चेतावनी भी दी है कि बैंकों को बासेल - III ढांचे में सहज संक्रमण में अड़चनों का भी समना करना पड़ेगा। बासेल-III में यह अनिवार्यता है कि बैंक 8% का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) बनाए रखें। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों के लिए न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात 9% पर निर्धारित कर रखा है।

घरेलू आस्तियों से अर्जन के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक की आय बढ़ी

घरेलू आस्तियों से अर्जन में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक की सकल आय पिछले वर्ष के 53,176 करोड़ रुपये से बढ़ कर 30 जून को समाप्त वर्ष में 39.8% बढ़ कर 74, 358 करोड़ रुपये हो गई। घरेलू स्रोतों से राजस्व में 60.7% की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 12 में 33,366 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 13 में 53,611 करोड़ रुपये हो गए। विदेशी परिचालनों में 4.7% की वृद्धि परिलक्षित हुई, जो 2011-12 के 19,810 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2012-13 में 20,746 करोड़ रुपये रहे। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 2013 में समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष लाभ के रूप में 33,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया- जो अब तक का सरकार को सर्वाधिक अंतरण है। यह 2011-12 में भुगतान की गई 16,100 करोड़ रुपये की रकम की तुलना में दो गुने से अधिक था। विदेशी स्रोतों से आय मुख्यतः विदेशी मुद्रा आस्तियों के अभिनियोजन से प्राप्त होती है। वर्ष 2012-13 में विदेशी मुद्रा आस्तियों पर अर्जन की दर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्याज दरों के कम होने कारण 1.5% के रूप में कमतर थी। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां उच्च रेटिंगप्राप्त बॉण्डों एवं जमाराशियों में नि-विष्ट करता है। वह प्रारक्षित निधियों को विदेशों में अभिनियोजित करते समय तीन सिद्धांतों - यथा सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ का अनुसरण करता है।

प्रतिफल कम रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 8,000 करोड़ रुपये मूल्य के बॉण्ड खरीदेगा

भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करते हुए कि लम्बी अवधि वाली प्रतिभूतियों से सम्बन्धित प्रतिफल बढ़ने न पाएं, मुद्रा की अस्थिरता को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह 10-वर्षीय प्रतिभूति से सम्बन्धित दरों को कम करने हेतु 8,000 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां (G-secs) खरीद रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक दो सप्ताहों में कुल खरीदियों को 16,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाते हुए इन बॉण्डों की खरीद करेगा। किन्तु निवेशकों में राजकोषीय घाटे के

प्रति बढ़ती चिंता के परिणामस्वरूप इन खरीदियां का प्रभाव सीमित ही होगा, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें सरकारी उधारियों को बढ़ा सकती हैं। मौजूदा और विकासशील बाजार की स्थितियों के मूल्यांकन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने खुले बाजार के परिचालन (OMOs) आयोजित करने का निर्णय लिया। रुपये में सड़ेबाजी को रोकने के लिए चलनिधि को नियंत्रित रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिफलों में 200 आधार अंकों से अधिक के उछाल को झेलना पड़ा, जिससे कम्पनियों और सरकार को निधीयन की लागत में बढ़ोतरी हो गई। ब्याज दर में बढ़ोतरी से मुद्रा में गिरावट की वह प्रवृत्ति उस समय नहीं रोकी जा सकी, जब वह 22 अगस्त को प्रति डालर 65.56 रुपये के न्यून स्तर पर पहुंच गई।

विनियामकों के कथन

चलनिधि नियंत्रित रखने के उपाय जारी रहेंगे

अपने नीतिगत दृष्टिकोण को दोहराते हुए भारतीय रिजर्व बैंक चलनिधि नियंत्रित रखने के अपने उपायों को जब तक वह विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को नियंत्रित नहीं के लेता तब तक जारी रखेगा। इन उपायों को शीघ्र ही वापस लेने के उत्सुक होने के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय पूर्णरूपेण विदेशी मुद्रा की दरों की स्थिरता पर निर्भर करेगा। पिछले महीने में भारतीय रिजर्व बैंक ने दैनिक चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत बैंकों द्वारा उधार लेने की सीमा को और घटा दिया था तथा समग्र आर्थिक वृद्धि की कीमत पर कठोर उपाय करने हेतु बहु-स्पर्शीय आलोचना का शिकार बनते हुए उनकी आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) अपेक्षाओं को बढ़ा दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव का कहना था कि हाल के उपायों से वृद्धि नहीं प्रभावित होगी, यद्यपि अल्पकालीन दृष्टि से कष्ट हो सकता है। वापस लेने के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए स्थिर विनियम दर का होना ठीक मुद्रास्फीति को घटाने की तरह ही महत्वपूर्ण है।

वायदा बाजार पर नियंत्रण केवल रुपये के स्थिर होने पर ही हटाए जाएंगे

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि वायदा बाजार पर नियंत्रणों को केवल विदेशी मुद्रा बाजार के स्थिर होने के बाद ही वापस लिया जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने वायदा बाजार पर बैंकों द्वारा स्वामित्व व्यापार को निषिद्ध करने, मार्जिन बढ़ाने और बाजार के सहभागियों द्वारा अपनाई जा सकने वाली विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय की स्थिति (Position) जैसे कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। ये उपाय उस सड़ेबाजी को रोकने के लिए किए गए थे जो अस्थिर विनियम दरों निर्मित कर रही थी।

बैंकों के जमा-ऋण ढांचे थोक बन गए हैं

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती का कहना है कि जहां प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अनर्जक आस्तियां कम हैं, वहीं बैंकों द्वारा इस क्षेत्र को ऋण हानि वहन करने की प्रतिज्ञापि माने जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में ऋण अभिनियोजन भी कम है। बैंकों का सम्पूर्ण जमा एवं ऋण ढांचा स्वरूप की दृष्टि से थोक बन गया है। पिछले वर्षों में 10 बड़े शहरों में जमाराशियों का संकेन्द्रण (39% से 49% की तीव्र गति से बढ़ा है, जबकि ऋण अभिनियोजन का संकेन्द्रण 58% से बढ़ कर 60% हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण खातों की संख्या 1.4% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ी है, जबकि महानगरीय क्षेत्रों में यह 14% बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों से जुटाई गई माराशियों का अनुपात 15% से घट कर 9% रह गया है। सम्पूर्ण वृद्धि महानगरीय क्षेत्रों में हुई। कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को ऋण का अनुपात 28.5% से घट कर 18% रह गया। बैंकों को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए लेनदेन लागत को कम करने के अलावा आबंटन कार्य-कुशलता बढ़ानी है तथा व्यवसाय पुनर्विन्यास प्रक्रिया (BRP) में सुधार लाना है।

भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का विनियमन जारी रखना चाहिए

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने विचार व्यक्त किया है कि 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और जमा स्वीकार करने वाली अन्य संस्थाओं / कम्पनियों का पर्यवेक्षण करने से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक के / की विनियामक अधिकारों / शक्तियों को वापस ले लिये जाने से मौद्रिक नीति के प्रभाव में कमी आ सकती है। मौद्रिक नीति को प्रभावी बनाने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा ऋण सून को केन्द्रीय बैंकों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।' उनका मानना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग द्वारा यथा-संस्तुत एकीकृत वित्तीय प्राधिकरण के तहत रखने से वित्तीय स्थिरता के प्रतिकूल होगा। 2008 के वित्तीय संकट का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि ऋण मध्यस्थीकरण कार्यकलाप उन बैंकेतर संस्थाओं (आभासी बैंकों) द्वारा किए जाते थे, जो विनियामक परिधि से बाहर वाले थे। इससे विनियामक अंतरपणन, उसी प्रकार का कार्यकलाप करने वाली संस्थाओं / कम्पनियों के विनियमन की आवश्यकताओं, जोरी खमों की साधारणता से जुड़े मुद्दों तथा ऐसी संस्थाओं / कम्पनियों के एकीकृत विनियमन की सह क्रियाओं के विनियमन की गंभीर चिंताएं पैदा हो गई। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के बीच किसी न किसी प्रकार की अंतर-सहलगताएं तथा उसी विनियामक द्वारा एकीकृत विनियमन वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक होते हैं।

विदेशी मुद्रा

सितम्बर, 2013 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.66710	0.569	0.950	1.382	1.774
जीबीपी	0.87188	0.8399.	1.1311	1.4527	1.7325
यूरो	0.47857	0.640	0.868	1.125	1.363
गापानी येन	0.41357	0.268	0.310	0.364	0.448
कनाडाई डालर	1.37300	1.557	1.825	2.106	2.343
आस्ट्रेलियाई डालर	2.51070	2.758	3.073	3.393	3.630
स्विस फ्रैंक	0.24040	0.234	0.387	0.595	0.820
डेनिश क्रोन	0.66800	0.8940	1.1125	1.4085	1.6655
न्यूलैंड डालर	2.93250	3.445	3.855	4.153	4.385
स्वीडिश क्रोन	1.40200	1.689	1.969	2.208	2.398
सिंगापुर डालर	0.44800	0.683	1.020	1.440	1.820
हांगकांग डालर	0.53000	0.730	1.100	1.500	1.880
एमवाईआर	3.32000	3.460	3.630	3.730	3.930

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ
विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	23 अगस्त, 2013 के दिन	23 अगस्त, 2013 के दिन
	बिलियन रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	17, 891.1	2 77,,722.2
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	16, 203.2	2 50, 482. 5
ख) सोना	1, 267, 9	20, 747. 0
ग) विशेष आहरण अधिकार	284,0	4, 389.8
घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	136.0	2, 102.9

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

रुपये में गिरावट का प्रभाव : अनिवासी विदेशी जमाराशियों में वृद्धि, विप्रेषण स्थिर बने रहे

डालर के समक्ष रुपये के मूल्य में तीव्र गिरावट के बारे में चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए स्वदेश में अधिक मुद्रा भेज कर अधिक अर्जन प्राप्त करने के अवसर मुक्त कर दिया है। अनिवासी भारतीय (NRI) मीयादी जमाराशियों के प्रवाह में वृद्धि परिलक्षित हुई है। मासानुमास प्रवाह में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। निस्संदेह, इन प्रवाहों की तुलना उस अवधि के बाद से नहीं की जा सकती, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासी विदेशी जमाराशियों पर ब्याज दरों की सीमा बढ़ा दी। दिसम्बर, 2011 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को घरेलू जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर के अनुरूप ब्याज दरों का भुगतान करने की अनुमति दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अनिवासी विदेशी जमाराशियों के प्रवाह इस वर्ष के अप्रैल - मई महीने में अप्रैल-मई 2012 के 5.56 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2.89 बिलियन अमरीकी डालर थे।

बीमा

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से बीमा दलाल हो सकते हैं

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने कहा है कि बैंकों को बीमा दलाल के रूप में काम करने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए। उन्हें प्रत्यक्ष दलाल वाली श्रेणी के अधीन आवेदन करना चाहिए। हालांकि, विनियमों में बैंकों के लिए बीमा दलाल होने की अनिवार्यता नहीं है। इसके बावजूद बैंकों के लिए उक्त भूमिका स्वीकार करना स्वैच्छिक ही रहेगा। एक बार मंजूर कर दिए जाने पर लाइसेंस तीन वर्ष के लिए वैध होगा। इस विशिष्ट विनियमन के तहत लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं / कम्पनियों के लिए पूंजी की कोई अपेक्षा / जरूरत नहीं है। लाइसेंस के लिए पात्र बनने हेतु बैंक के पास प्रधान अधिकारी - महा प्रबंधक अथवा समकक्ष श्रेणी का एक ऐसा अधिकारी होना जरूरी है - जिसे अनन्य रूप से बीमा दलाल के कार्य करने हेतु ही नियुक्त किया गया हो। ऐसे बैंक किसी एक ही ग्राहक से प्रीमियम के 50% से अधिक नहीं जुटा सकते। इसके अलावा, किसी भी वित्तीय वर्ष में बीमा दलाल द्वारा किए गए बीमा व्यवसाय के 25% से अनधिक प्रवर्तक समूह की बीमा कम्पनी के पास जीवन और सामान्य बीमा व्यवसाय के लिए अलग-अलग रखा जाएगा।

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्मवित्त क्षेत्र समेकन की दिशा में अग्रसर

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि सूक्ष्मवित्त संस्था (MFI) क्षेत्र का समेकन हो सकता है, क्योंकि बड़ा आकार और परिचालनात्मक कार्य-कुशलता से लागतों में कमी लाने में सहायता मिल सकती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री सुशील मुनोर के अनुसार सूक्ष्मवित्त क्षेत्र का विकास दो चरणों में हुआ

है - इनमे से पहला था सूक्ष्म वित्त कार्यकलाप आरंभ करने के लिए लाभ के लिए नहीं न्यासों की स्थापना और दूसरा था इन न्यासों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) में रूपांतरण। अपेक्षाकृत छोटी सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, जिनकी निधियों की लागत विशिष्ट रूप से अधिक होती है, बड़ी संस्थाओं में विलयित हो सकती हैं। मार्च 2014 के अंत तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के रूप में वर्गीकृत (उनका आकार चाहे जैसा भी क्यों न हो) सभी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए 12% मार्जिन की सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि, अप्रैल, 2014 से मार्जिन सीमाएं बड़ी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (100 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण संविभाग वाली) के मामले में 10% तथा अन्यों के मामले में 12% से अधिक नहीं हो सकतीं।

वित्तीय समावेशन

ग्रामीण शाखाओं, कारबार संपर्कियों में वृद्धि

गांवों में बैंकिंग बिक्री केन्द्रों की संख्या, जो 2009-10 के दौरान 67,694 थी, मार्च, 2013 तक 2.6 लाख का कीर्तिस्तंभ पार कर कर गई है। इन बिक्री केन्द्रों में ईंट और गारे वाली शाखाओं तथा कारबार संपर्कियों (BCs) का समावेश है। वर्ष 2010 में केन्द्रीय सरकार ने देश के बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक त्रिवर्षीय वित्तीय समावेशन योजना तैयार की थी। वर्ष 2012-13 की भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का कहना है कि 2010-13 के दौरान लगभग 7,400 ग्रामीण शाखाएं खोली गईं। हालांकि, देश में पिछले दो दशकों के दौरान लगभग 1,300 ग्रामीण शाखाओं की कमी आई थी। गांवों में कारबार संपर्कियों की संख्या, जो 2010 में 35,174 थी, मार्च 2012 तक बढ़ कर 2.21 लाख हो गई। जहां 2010 में 447 कारबार संपर्की शहरी स्थानों में सेवा प्रदान कर रहे थे, वहीं उनकी संख्या 2012-13 के दौरान बढ़ कर 27,143 हो गई। वित्तीय समावेशन योजना के अधीन मूल बचत बैंक खातों की संख्या मार्च, 2010 में 7.34 करोड़ थी तथा इन खातों ने 2012-13 के दौरान 25.04 करोड़ लेनदेनों में लगभग 23,388 करोड़ रुपये की जमाराशियां जुटाईं।

वित्तीय समावेशन के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करें

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि यदि वित्तीय समावेशन को कोई सार्थक योगदान करना है, तो बैंकों को लोगों तक हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पहुंचना होगा। "हम संप्रेषण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता सार्थक रूप से आगे नहीं बढ़ा सकते। सरकार और विनियामकों के लिए लोगों को कपटपूर्ण योजनाओं से बचाना जरूरी है। इसे प्राप्त करने के दो तरीके हैं। पहला, हमें लोगों को ऐसी योजनाओं के जोखिमों से बेहतर ढंग से अवगत करना चाहिए। दूसरा, हमारे लिए उन्हें औपचारिक वित्तीय क्षेत्र तक पहुंच उपलब्ध करना जरूरी है, ताकि वे ऐसी योजनाओं के शिकार न बनें। इन दोनों ही पहलकदमियों के लिए हमारे लिए उन तक हिन्दी और देशी भाषाओं में पहुंचना जरूरी है। भारत

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने तदनुसार लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में विज्ञापन अभियान छेड़ रखा है। हमारे लिए यह जरूरी है कि बैंक इस पहलकदमी में शामिल हों।"

नयी नियुक्तियां

भारतीय रिजर्व बैंक के नये गवर्नर

डॉ. रघुराम राजन को तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक में आने के पूर्व वे वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। उन्होंने 1985 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली से इले किट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि ग्रहण की और 1987 में भारतीय प्रबन्धन संस्थान (IIM), अहमदाबाद से व्यवसाय प्रशासन (Business Administration) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा का पाठ्यक्रम पूरा किया। उन्होंने उत्तम सर्वतोमुखी उपलब्धि के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में निदेशक का स्वर्ण पदक जीता तथा भारतीय प्रबन्धन संस्थान, अहमदाबाद में भी स्वर्ण पदक विजेता रहे। 1991 में उन्होंने एमआईटी, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रबन्धन में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की।

उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में बूथ स्कूल ऑफ बिजिनेस में वित्त के एरिक जे. ग्लीचर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया। वे विश्व बैंक, फेडरल रिजर्व बोर्ड तथा स्वीडिश पार्लियामेन्ट कमीशन के लिए अतिथि प्राध्यापक भी रह चुके हैं। इसके पूर्व वे अमेरिकन फाइनैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के मुख्य अर्थशास्त्री थे। भारत सरकार के साथ डॉ. राजन के पूर्ववर्ती कार्य में वित्तीय सुधारों पर योजना आयोग द्वारा नियुक्त समिति के कर्णधार तथा प्रधान मंत्री के मानद सलाहकार का समावेश है।

नाम	पदनाम / संगठन
श्री जय कुमार गर्ग	कार्यपालक निदेशक, यूको बैंक
श्री मुकेश कुमार जैन	कार्यपालक निदेशक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक
श्री किशोर कुमार सांसी	कार्यपालक निदेशक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक
श्री राकेश सेठी	कार्यपालक निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
श्री आर. कोटीश्वरन	कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया
श्री अनिमेष चौहान	कार्यपालक निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

नाम	पदनाम / संगठन
श्रीमती तृष्णा गुहा	कार्यपालक निदेशक, देना बैंक
श्री पी.एस. रावत	कार्यपालक निदेशक, केनरा बैंक
श्री अरुण श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया
श्री बी. बी. जोशी	कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा
श्री टी.के. श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक, सिंडिकेट बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ	उद्देश्य
केनरा बैंक	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी	बैंक के मूल्यवान ग्राहकों को बैंक सेवाएं प्रदान करना।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	फ्रैंचाइज इंडिया	भारत में उभरते और सुरक्षित फ्रैंचाइजरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

बासेल III - पूंजी विनियमन

बासेल III पर चर्चा को जारी रखते हुए पूंजी आवश्यकताओं पर चर्चा इसके नीचे प्रस्तुत की जा रही है :

बासेल III के पूंजी विनियमन के बासेल II पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तीन पारस्परिक रूप से पुनर्बलित करने वाले स्तंभों, यथा - न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं (स्तंभ 1), पूंजी पर्याप्तता का पर्यवेक्षी पुनरीक्षण (स्तंभ 2) और बाजार अनुशासन (स्तंभ 3) पर आधारित होने का क्रम जारी है। बैंकों के लिए 9% की विनियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के अलावा साझी इक्विटी टियर 1 पूंजी के समावेश वाले 2.5% का पूंजी संरक्षण भंडार (CCB) बनाए रखना आवश्यक है। इस ढांचे के तहत एक सरल, पारदर्शी, गैर-जोरी खम आधारित उत्तोलन अनुपात को भी लागू किया गया है। उत्तोलन अनुपात को जोखिम-आधारित पूंजी आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय अनुपूरक उपाय के रूप में काम करने हेतु अंशांकित किया गया है। इन आवश्यकताओं से सम्बन्धित सभी प्रावधानों दिशानिर्देशों पर इसके नीचे चर्चा की जा रही है :

क. न्यूनतम पूंजी आवश्यकता से सम्बन्धित दिशानिर्देश

इसके पूर्व यथा-वर्णित बासेल III ढांचे के तहत कुल विनियामक पूंजी निधि में निम्नलिखित श्रेणियों के योग का समावेश होगा :

(i) 'टियर 1 पूंजी (लाभकारी कारबार वाले संस्थान की पूंजी*) : जिसमें निम्नलिखित का समावेश है :

(क) साझी इक्विटी टियर 1 पूंजी

(ख) अतिरिक्त टियर 1 पूंजी

(ii) टियर 2 पूंजी (क्षीण संस्थान की पूंजी*)

(*विनियामक पूंजी के परिप्रेक्ष्य से 'लाभकारी संस्थान वाली पूंजी' वह पूंजी होती है, जो बैंक के दिवाफलयेपन को उत्प्रेरित किए बिना हानियों को अवशोषित कर सकती है। 'क्षीण संस्थान वाली पूंजी' वह पूंजी होती है, जो हानियों को केवल बैंक के परिसमापन में जाने की स्थिति में ही अवशोषित करेगी।) बैंकों से अपेक्षित है कि वे बासेल III पूंजी अनुपातों को निम्नलिखित विधि से परिकलित करें :

साझी इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात	साझी इक्विटी टियर 1 अनुपात ----- ऋण जोखिम जोखिम-भारित आस्तियां* + बाजार जोखिम जोखिम-भारित आस्तियां + परिचालन जोखिम जोखिम-भारित आस्तियां
टियर 2 पूंजी अनुपात	पात्र टियर 1 पूंजी ----- ऋण जोखिम जोखिम-भारित आस्तियां* + बाजार जोखिम जोखिम-भारित आस्तियां + परिचालन जोखिम जोखिम-भारित आस्तियां
कुल पूंजी (जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (CRAR) #	पात्र कुल पूंजी ----- ऋण जोखिम जोखिम-भारित आस्तियां* + बाजार जोखिम जोखिम-भारित आस्तियां + परिचालन जोखिम जोखिम-भारित आस्तियां
* RWA = जोखिम-भारित आस्तियां	# CRAR= जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुला में पूंजी का अनुपात

पूंजी अनुपातों और पूंजी संरक्षण भण्डार (CCB) के पूर्ण कार्यान्वयन (इन पूंजी अनुपातों में सहज रथानांतरण के लिए संक्रामी व्यवस्थाएं की गई हैं) के परिणामस्वरूप पूंजी आवश्यकताएं निम्नानुसार होगी :

विनियामक पूंजी	आस्तियों के % के रूप में
1. न्यूनतम साझी इक्विटी टियर 1 अनुपात (एमसीई टियर 1 अनुपात)	5.50
2. पूंजी संरक्षण भण्डार (CCB)	2.50
3. न्यूनतम साझी इक्विटी टियर 1 अनुपात + पूंजी संरक्षण भण्डार	8.00
4. अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	1.50
5. न्यूनतम टियर 1 पूंजी अनुपात (1 + 4)	7.00.

6. टियर 2 पूँजी	2.00
7.. न्यूनतम कुल पूँजी अनुपात (एमटीसी) (5 + 6)	9.00
8. न्यूनतम कुल पूँजी अनुपात + पूँजी संरक्षण भण्डार (7 +2)	11.50

अन्य प्रावधान

- क. 'साझी इक्विटी टियर 1 पूँजी पद' में पूँजी संरक्षण भण्डार तथा लागू किए जाने पर प्रति-चक्रीय पूँजी भण्डार का समावेश नहीं है। दूसरे शब्दों में पूँजीगत निधियों में साझी इक्विटी टियर 1 पूँजी, अतिरिक्त टियर 1 पूँजी तथा बैंक के जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूँजी के अनुपात (CRAR) की गणना एवं रिपोर्टिंग के लिए पात्र टियर 2 पूँजी का समावेश होता है।
- ख. रिपोर्टिंग के उद्देश्य से टियर 1 पूँजी और जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूँजी के अनुपात (CRAR), किसी अतिरिक्त टियर 1 (T1) पूँजी और टियर 2 (T2) पूँजी का अभिनिर्धारण उसी अनुपात में किया जाएगा जो न्यूनतम पूँजी आवश्यकताओं के लिए लागू होती है। दूसरे शब्दों में किसी अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 पूँजी को शामिल करने के लिए बैंक के पास 8% (5.5% + 2.5%) की अतिरिक्त साझी इक्विटी टियर 1 होनी चाहिए।
- ग. ऐसे मामलों में जहां किसी बैंक के पास न्यूनतम साझी इक्विटी टियर 1 + जोखिम-भारित आस्तियों का 2.5% पूँजी संरक्षण भण्डार (CCB) यथा-अपेक्षित रूप में न हो, किन्तु अतिरिक्त टियर 1 और / अथवा टियर 2 पूँजी मौजूद हो, वहां इस प्रकार की अतिरिक्त पूँजी को टियर 1 पूँजी और टियर 2 पूँजी की गणना एवं रिपोर्टिंग के लिए पात्र नहीं माना जा सकता।
- G. बैंकिंग क्षेत्र को अतिरिक्त समग्र ऋण वृद्धि की अवधियों और उससे पैदा होने वाले प्रणाली -व्यापी जोखिम से उपशमित / संरक्षित करने के लिए पूँजी संरक्षण भण्डार के विस्तार के रूप में एक साझी इक्विटी अथवा अन्य पूर्णतः हानि अवशोषक पूँजी के रूप में 0.205% का प्रति-चक्रीय पूँजी भण्डार सृजित किया जाना है।
- स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

भूरे लेबल वाले एटीएम

"भूरे लेबल" वाले एटीएम वे स्वाचालित टेलर मशीने होती हैं, जिनमें हार्डवेयर और एटीएम मशीन का पट्टा किसी सेवा-प्रदाता द्वारा स्वाधिकृत होता है, किन्तु नकदी प्रबन्धन और बैंकिंग नेटवर्कों से संयोजकता किसी ऐसे प्रायोजक बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जिसके ब्रॉण्ड का एटीएम पर प्रयोग होता है। 'भूरे लेबल' का विकास बैंक द्वारा स्वाधिकृत एटीएमों और 'सफेद लेबल' वाले एटीएमों के बीच हुआ है। एटीएम मशीनों की उच्च लागत तथा एटीएमों के विस्तार के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए भूरे लेबल वाले एटीएम नेटवर्कों की संकल्पना के आगामी कुछेक वर्षों में तीव्र गति से विस्तारित होने की संभावना है। हाल के वर्षों में बैंक एटीएम व्यवसाय के

बारे में जो दृष्टिकोण रखते हैं उसमें स्पष्ट बदलाव आया है। पूर्ववर्ती मॉडेलों, जिनमें बैंक एटीएम मशीनों की एकमुश्त खरीद किया करते थे और सेवा की लागत वहन किया करते थे, के स्थान पर अब वे भूरे लेबल वाले एटीएमों अर्थात् जिसमें मशीन और सेवा के लिए बाह्य स्रोत का उपयोग किया जाता है, को अधिमान दे रहे हैं।

शब्दावली

व्यापक व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा (XBRL)

एक्सबीआरएल (व्यापक व्यवसाय रिपोर्टिंग की भाषा) व्यवसाय और वित्तीय आंकड़ों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण की एक्सएमएल-आधारित कम्प्यूटर भाषा है। व्यापक व्यवसाय रिपोर्टिंग की भाषा का प्रयोग वित्तीय विवरणों जैसी संवेदनशील और गोपनीय वित्तीय सूचना के आदान-प्रदान को परिभाषित एवं सुगम बनाने के लिए किया जाता है। व्यापक व्यवसाय रिपोर्टिंग की भाषा का ध्येय व्यावसायिक आसूचना (BI) के कम्प्यूटरीकरण को मानकीकृत करना है। व्यापक व्यवसाय रिपोर्टिंग की भाषा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में आंकड़ों की प्रत्येक मद को वर्णित एवं अभिज्ञात करने हेतु टैगों का उपयोग करती है। ये टैग कम्प्यूटर कार्यक्रमों को आंकड़ों की छंटाई करने और सम्बन्धों का शीघ्रतापूर्वक विश्लेषण करने तथा विविध आरूपों में आउटपुट सृजित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। क्योंकि ये टैग मानकीकृत होते हैं, विश्लेषण का कार्य दस्तावेज में मूल पाठ (टेक्स्ट) के भिन्न - भिन्न भाषाओं में लिखित होने पर भी बहुविध स्रोतों से बहुविध दस्तावेजों से किया जा सकता है।

शुद्धि-पत्र

आईआईबीएफ विज्ञन के अगस्त 2013 के अंक में प्रकाशित उन्हीं सेवाओं के लिए एक्समान प्रभार निम्नानुसार पढ़े जाने चाहिए :

इंटरसोल प्रभार बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग समाधान / इंटरनेट / इंटरनेट प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने की लागत वसूल करने हेतु लिये जाने वाले प्रभार होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोर बैंकिंग वातावरण में बैंकों की सभी शाखाओं / सेवा सुपुदगी स्थलों पर बैंक ग्राहकों के साथ न्यायपूर्ण एवं यथोचित रीति से किसी भेदभाव के बिना एक पारदर्शी रीति से व्यवहार किया जाए बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक्समान, उचित एवं पारदर्शी मूल्य-निर्धारण नीति अपनाएं और अपनी शाखा और अन्य शाखा के अपने ग्राहकों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।

संस्थान की गतिविधियां

सितम्बर, 2013 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	विषयन एवं ग्राहक देखरेख पर 4था कार्यक्रम	16 से 20 सितम्बर, 2013
2	सहकारी बैंकों के लिए खजाना प्रबन्धन पर कार्यक्रम	23 से 25 सितम्बर, 2013

अगस्त, 2013 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तीयन पर 5वां कार्यक्रम	10 से 24 अगस्त, 2013 तक
2	सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर अपराध पर 3री एक-दिवसीय कार्यशाला	26 अगस्त, 2013
3	टॉपसिम तुलन पत्र अनुरूपण	26 दे 27 अगस्त, 2013 तक

संस्थान समाचार

वार्षिक साधारण सभा (AGM)

86वीं वार्षिक साधारण सभा 27 सितम्बर, 2013 को दोपहर 12.00 बजे आईआईबीएफ, कारपोरेट कार्यालय, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400070 में आयोजित होगी।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अन्यर्थियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

ई-मेल के माध्यम से आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने आईआईबीएफ - विजन उसके पास पंजीकृत ई-मेल पतों पर ई-मेल द्वारा भेजना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करा रखे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते यथाशीघ्र पंजीकृत करा लें। आईआईबीएफ - विजन संस्थान के पोर्टल में डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे भविष्य में वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भेजने के लिए संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

बैंक क्वेस्ट के लिए विषय-वस्तु

संस्थान की पत्रिका बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों की विषय-वस्तुएं आस्ति देयता प्रबन्धन (सितम्बर-दिसम्बर, 2013), वित्तीय समावेशन एवं अन्य चुनौतियां (जनवरी - मार्च, 2014 और मानव संसाधन (अप्रैल - जून, 2014) हैं। इन विषयों पर आलेखों का स्वागत है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

-
- * भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत *
 - * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15
 - * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित
-

बाजार की खबरें **भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें**

110..00
105.00
100.00
95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00

01/08/13 05/08/13 06/08/13 08/08/13 12/08/13 16/08/13 2008/13 22/08/13 26/08/13
27/08/13 28/08/13 29/08/13 30/08/13

अमरीकी डालर

यूरो

100 जापानी येन

पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

- अमेरिका में बढ़ते प्रतिफल के कारण पोर्टफोलियो बहिर्वाहों के बीच 2री को रुपया 1.1% घट कर उसके 60.44 पर पूर्ववर्ती बंद वाले न्यून स्तर से भी निचले स्तर पर पहुंच कर प्रति डालर डालर 61.10 हो गया।
- तेल कम्पनियों से डालर की निरंतर मांग और अपतटीय बाजी (बेटिंग) ने डॉ. रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर के रूप में नियुक्त किए जा रहे हैं इसकी घोषणा किए जाने के समाचार और समस्त हानियों की भरपाई करने के लिए केन्द्रीय बैंक के हस्तक्षेप के पहले 6ठी को रुपया डालर के समक्ष 61.81 के नये न्यून स्तर पर पहुंचने के लिए विवश कर दिया गया।
- 19वीं को रुपया 63.13 पर बंद हुआ। इसके पूर्व इसने जीवन काल के 63.23 का नया न्यून स्तर दर्ज किया। 2.37% की गिरावट लगभग दो वर्षों में सबसे बड़ी अंतः दिवसीय गिरावट थी।
- पिछले बंद वाले स्तर से 12.90 पैसे के कमतर स्तर 64.11 पर बंद होने के पहले 21वीं को रुपया लगभग 8% गिरते हुए 64.62 के नये न्यून स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई के मध्य में चलनिधि को नियंत्रित करना आरंभ कर दिया।
- इस भय के कारण कि खाद्य सुरक्षा विधेयक बढ़ते राजकोषीय घाटे को और बढ़ा देगा तथा तेल समृद्ध मध्य-पूर्व में युद्ध छिड़ जाएगा रुपये के गिर कर प्रति डालर 66.30 के नये अधोबिन्दु पर पहुंच जाने के परिणामस्वरूप 27वीं को भारतीय बाजारों पर उक्त संहार का शिकंजा कस उठा।
- 68.80 पर बंद होने से पहले 256 पैसे की सबसे बड़ी एक दिवसीय हानि दर्ज करते हुए अपनी मुक्त गिरावट को जारी रखते हुए 28वीं को डालर के समक्ष रुपया गिर कर अपने जीवन काल के 68.85 के नये न्यून स्तर पर पहुंच गया।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तेल कम्पनियों को डालर उससे सीधे खरीदने की अनुमति दिये जाने के बाद अमरीकी डालर के समक्ष 225 पैसे या 3.6% मजबूत हो कर रुपया अपने अब तक के हमेशा वाले न्यून स्तर से मजबूत पड़ कर 66.55 पर बंद हुआ।
- 30वीं को प्रधान मंत्री इस आशय का बढ़ावा पा कर कि उनकी सरकार मुद्रा में गिरावट का मुकाबला करेगी तथा वृद्धि को पुनर्जीवित करेगी, रुपये में डालर के समक्ष 85 पैसे की मजबूती आई और वह 65.70 हो गया।
- सभी महत्वपूर्ण मुद्राओं के समक्ष रुपये में पर्याप्त रूप से मूल्यह्रास हुआ।

भारित औसत मांग दरें

10.50

10.00

9.50

9.00

8.50

8.00

7.50

7.00

6.50

6.00

01/08/13 03/08/13 06/08/13 07/08/13 08/08/13 10/08/13 16/08/13 17/08/13 19/08/13

21/08/13 23/08/13

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, julaZ, 2013

- मांग बाजारों में अस्थिरता प्रदर्शित हुई
- बाजार 6.69% के न्यून स्तर और 10.27% के उच्च स्तर पर प्रदोलित होते रहे।

बम्बई शेयर बाजार सूचकांक

19500

19000

18500

18000

17500

17000

01/08/13 06/08/13 13/08/13 16/08/13 20/08/13 21/08/13 23/08/13 27/08/13

29/08/13 30/08/13

स्रोत : बम्बई शेयर बाजार (BSE)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोजेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉर्मर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।

संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स

कोहिनूर सिटी, कॉर्मर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)

मुंबई - 400 070

टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332

तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.

वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज्ञन सितम्बर, 2013

